रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052024-254307
CG-DL-E-22052024-254307

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1977] नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2024/ज्येष्ठ 1, 1946
No. 1977] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2024/JYAISHTHA 1, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2024

का.आ. 2076(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतदद्वारा 'तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रैनेज बोर्ड, चेन्नई' (PAN AAALT0834F), जो तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रैनेज बोर्ड अधिनियम, 1970 (तमिलनाडु अधिनियम, 1971) के तहत गठित एक निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

(क) रख-रखाव लागत की वसूली हेतु जल आपूर्ति के लिए जल प्रभार;

(ख) स्थापना प्रभार की क्षतिपूर्ति के लिए जल आपूर्ति योजना और सिवरेज योजना जैसे स्थानीय निकायों से प्राप्त सेंटेज प्रभार;

(ग) स्थापना प्रभार के लिए जल आपूर्ति और जल निकासी योजना के लिए जांच एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का तैयारी
प्रभार;

(घ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि तमिलनाडु वाटर सप्लाई एंड ड्रैनेज बोर्ड, चेन्नई -

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियां और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्षों क्रमश: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 एवं 2027-2028 के लिए संगत निर्धारण वर्षों 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 तथा 2028-2029 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 43/2024, फा. सं.300196/32/2024-आईटीए-I]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव